न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार झिंगोनिया आर.ए.एस.
मु.न. – 09/2019

महमूद अली पुत्र नूरउद्दीन जाति मुसलमान निवासी नीक चौकी शहर सवाईमाधोपुर।

(अपीलान्ट)

बनाम

ग्राम पंचायत पाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाली।

(रैस्पो.)

अपील नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 20.12.2003

अभिभाषक उपस्थिति :–
हनुमान चौधरी अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.09.2020

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2003 ग्राम पंचायत पाली के विरूद्ध पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के पिता नूरउद्दीन की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी भूमि वांके ग्राम पाली में स्थित है। अपीलाण्ट का पिता नूरउद्दीन पुत्र करीमबक्स के फोत होने के पश्चात् नूरउद्दीन के हिस्से की भूमि उसके वारिसान लड़के महमूद अली (अपीलाण्ट), निजामुद्दीन, फारूख,अखलाख, मकसूद, खातून वैवा नूरद्दीन जायज वारिस होने से हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट का वास्तविक नाम महमूद अली की बजाय गुड्डू नामान्तकरण संख्या 1203 में जांच पडताल किये बिना एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का नोटिस दिये बिना गलत अंकन कर न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत पाली के समक्ष वास्ते तस्दीक नामान्तकरण हेतु पेश कर दिया। नामान्तकरण संख्या 1203 निर्णय दिनांक 20.12.2003 में अपीलाण्ट का नाम गुड्डू के स्थान सही नाम महमूद अली के आदेश दिये जाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पो0 को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। रैस्पो. के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार खण्डार से मूल नामान्तकरण तलब किया गया। वकील अपीलाण्ट बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट के द्वारा बहस में बताया गया है कि ग्राम पंचायत पाली का नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 20.12.2003 में अपीलाण्ट का नाम गुड्डू के स्थान पर सही नाम महमूद अली फ़रमाया जावें।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस को गौर किया ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरण का एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम पंचायत पाली के द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 1203 निर्णय दिनांक 20.12.2003 में गुडडू का सही नाम महमूद अली होना सही प्रतित होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पाली के नामान्तरण संख्या 1203 दिनांक 20.12.2003 के द्वारा खोले गये नामान्तरण में गुडडू के स्थान पर महमूद अली नाम सही किया जाकर नवीन नामान्तकरण खोला जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.9.20

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Scanned with CamScanner